न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ. अंजलि राजोरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
03 / 2020	2020 / 00012	04.06.2020	14.06.2024

1. जगदीश पुत्र श्री शंकरलाल ब्राहमण आयु व्यस्क निवासी नानणा (कंथार) तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. श्री हेमन्त जोशी पिता सत्यनारायण ब्राहमण आयु व्यस्थ्क तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. सत्यनारायण जोशी पिता शंकरलाल ब्राहमण आयु व्यस्थ्क तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्रीमान तहसीलदार प्रतापगढ़

:— विपक्षीगण

अपील विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक 17.01.2020 वाके मौजा कुणी द्वारा न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ के क्रम में।

उपस्थिति :—
1. श्री कुशवेन्द्र सिंह (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. श्रीमती श्रृद्धा त्रिपाठी (अधिवकता रेस्पोडेन्टगण)

—: आदेश :— दिनांक :—14.06.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 549 स्वीकृत दिनांक 17.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुणी पटवार हल्का कुणी तहसील प्रतापगढ़ की खाता संख्या 59 में दर्ज संयुक्त आराजियात संख्या 101, 106, 107, 162, 163, 164 कुल किता 6 सम्पूर्ण रकबा 2.87 हैक्टर भूमियों के संबंध में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण के मध्य एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 53—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् न्यायालय सहायक कलक्टर, प्रतापगढ़ के समक्ष विचाराधीन रहते हुए उक्त वाद के प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या—1 व 2 के पिता द्वारा दौराने वाद विचारण कार्यवाही एवं उक्त वाद से संदर्भित स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 प्रकरण संख्या 34 / 2018 अन्तर्गत जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.06.2018 के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या—1 व 2 के पिता प्रतिवादी श्री सत्यनारायण पुत्र श्री शंकरलाल ब्राहमण द्वारा वाद ग्रस्त भूमियों की दान बक्षीय पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 17.12.2019 को अपने पुत्र श्री हेमन्त अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या—1 के पक्ष में कर दिये जाने से उक्त दान पत्र के आधार पर विवादित

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक 17.01.2020 निष्पादित हुआ है। जिसके विरूद्ध अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर विवादित नामान्तरकरण को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा जवाब अपील एवं लिखित बहस रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत की गई जिसकी नकल प्रतियां अधिवक्ता अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाकर जवाब एवं लिखित बहस शामील पत्रावली की गई।

प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये गये कि विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों के संबंध में सक्षम न्यायालय अन्तर्गत अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण के मध्य बंटवारे तथा घोषणात्मक डिक्री का दावा एवं अस्थाई निषेधज्ञा के संचालित रहते रेस्पोडेन्ट संख्या–2/प्रतिवादी द्वारा अन्यथा दान पत्र निष्पादित कर विवादित नामान्तरकरण खुलवा दिया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद प्रभावित होकर रिकार्ड में अन्यथा परिवर्तन हो गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावे।

इसी प्रकम में दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए प्रस्तुत जवाब एवं लिखित बहस के हवाले से अवगत कराया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं स्थगन कार्यवाही एक तरफा कार्यवाही थी जिसकी रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी को विधिवत् सूचना जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में की गई दान डीड बक्षीस का पूर्ण अधिकार था जिसे उसके द्वारा विधिवत् पंजीकृत कराते हुए नामान्तरकरण कार्यवाही हुई है। जो विधिवत् होने से अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है। अपीलार्थी अन्यथा सिविल लिटीगेशन उत्पन्न करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसे सीरे से खारीज फरमाई जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 24.02.2020, रजिस्ट्रर्ड दान पत्र दिनांक 17.12.2019, नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक 17.01.2020, स्थगन आदेश दिनांक 06.06.2018, लिखित बहस एवं संशोधन प्रार्थना पत्र 11.06.2024, जवाब रेस्पोडेन्ट दिनांक 19.02.2024 के साथ साथ पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपील में वर्णित विवादित नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक 17.01.2020 पंजीकृत दान पत्र विलेख दिनांक 17.12.2019 के आधार पर खोला गया है। प्रकरण में उपलब्ध अन्य रिकार्ड दस्तावेजों अनुसार नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, प्रतापगढ़ के समक्ष अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नियमित वाद एवं अस्थाई निषेधज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 34/2018 अन्तर्गत धारा 212 RTA अन्तर्गत जारी अस्थाई निषेधज्ञा दिनांक 06.06.2018 एकतरफा आदेश विरूद्ध रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण जारी किया होना दर्शित रिकार्ड है किन्तु उक्त अस्थाई व्यादेश एकतरफा होने से रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के रिकार्ड शिर्षक कार्यवाही (पंजीकृत दान पत्र एवं उक्त आधार पर निष्पादित नामान्तरकरण) को बाधित करना अप्रासंगिक प्रतीत होता है। क्योंकि नामान्तरकरण एक शिर्षक कार्यवाही मात्र है जिससे किन्हीं पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। साथ ही विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 (पिता) के नियत हक हिस्से 1/5 में से 1/2 हक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 (पुत्र) के पक्ष में अन्तरण किये जाने से रिकार्ड पर कोई अमात परिवर्तन नहीं हुआ है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

जिससे बटवारा एवं घोषणात्मक वाद पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुँकी किन्हीं भी संयुक्त खातेदारी काश्तकारी भूमियों के हक हिस्से और हक अधिकार के विवाद का निराकरण नियमित वाद विचारण के माध्यम से ही निर्णित हो सकता है। क्योंकि प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण पंजीकृत दान पत्र के आधार पर निष्पादित किया गया है इस आधार पर पंजीकृत दान पत्र के अस्तित्व में रहते हुए नामान्तरकरण निरस्ती कार्यवाही तर्क संगत नहीं है तथा प्रकरण में आक्षेपित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों के विषय में उभय पक्षकारों के मध्य पूर्व से एक नियमित वाद सक्षम न्यायालय में संचालित रहते उक्त भूमियों के संबंध में पृथक से समरी कार्यवाही संचालित किया जाना दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 एवं 11 में विहित् प्रावधानों के विपरीत एवं विरोधाभाषी होने से अपील अपीलार्थी इस प्रकार इस स्तर पर मेंटेबल प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ